हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

चौदहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 138

मंगलवार, 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

<u>11.00 बजे (पूर्वाह्न)</u>

सदन की बैठक माननीय उपाध्यक्ष, श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

1. **प्रश्नोत्तरः**

(i) **तारांकित प्रश्नः**

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 3627, 3451 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 3793 से 3798 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 3792 का उत्तर सम्बन्धित मन्त्री द्वारा दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 3799 से 3821 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1610 से 1623 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12-00 PM

2. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः**

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने मंगलवार, 14 मार्च, 2017 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

3. **कागज़ात सभा पटल पर :**

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम, 1968 की धारा 15(1) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2015-16 (1.4.2015 से 31.3.2016 तक) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री जी0एस0बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री** ने सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत हिमाचल पथ परिवहन निगम के 42वें वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखी।

4. **सदन की समिति के प्रतिवेदनः**

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का 165वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 145वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **166वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 146वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तिर्विष्ट सिफारिशें पर आधारित तथा **पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री संजय रतन, सदस्य, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति का **66वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2012 के ऑडिट पैरा संख्या 4.8 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम समिति** से सम्बन्धित है कि प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

<u>मुख्य मन्त्री द्वारा वक्तव्य</u>

माननीय मुख्य मन्त्री ने ज़िला किन्नौर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, निचार परीक्षा केन्द्र संख्या 2,551 से दस जमा दो के प्रश्न-पत्रों की चोरी के सन्दर्भ में वक्तव्य दिया।

5. वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए बजट अनुमानः- सामान्य चर्चा।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष

(अपराह्न 1.15 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक स्थगित हुई)

(अपराह्न 2.15 बजे सदन की बैठक माननीय उपाध्यक्ष जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

2. श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री
3. डा0 राजीव बिंदल
4. श्री राजेश धर्माणी, मुख्य संसदीय सचिव
5. श्री गोविन्द राम शर्मा
6. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, मुख्य संसदीय सचिव
7. श्री हंस राज

(सांय 5.00 बजे सदन की बैठक सांय 5.10 बजे तक बढ़ाई गई)

(सांय 5.10 बजे सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 15 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)